रजिस्ट्री सं डी. (डी. एस.)-72

REGISTERED No. D. (D.S.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 1986/अग्रहायण 5, 1908
No. 266] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 1986/AGRAHAYANA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(सरकारी उद्यम विभाग),

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1986

संकल्प

संख्या 2(10)/83-स.उ.का. (मंजूरी कक्ष).—केन्द्रीय सरकार ने अपने विनांक 7-4-86 के समसंख्यक संकल्प द्वारा सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के वेतनमान तथा महंगाई भत्ता लेने वाले कर्मचारियों से संबंधित वेतनमानों तथा अन्य आनुषंगिक मामलों जैसे अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता तथा अन्य भत्तों संबंधी विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति श्री पी. एन. सिंघल की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था। उच्चाधिकार समिति के विचारार्थ विषयों का उल्लेख उपर्युक्त संकल्प के पैरा-4 में किया गया था।

2. उच्चतम न्यायालय ने 5-8-1986 को उनकी सुनवाई के दौरान उच्चाधिकार समिति का कार्यकाल 4 महीने से बढ़ा कर एक वर्ष करने की स्वीकृति दे दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए विशिष्ट समय भी निर्दिष्ट किया है जिसके भीतर समिति को सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की स्वीकृति देनी अपेक्षित है। तदनुसार भारत सरकार ने निर्णय किया है कि उच्चाधिकार समिति के विचारार्थ विषयों में निम्न प्रकार संशोधन किया जायेगा:

(1) पैरा-4 के उप पैरा-3 में "यदि अभीष्ट हो" शब्दों के पश्चात् "जितनी जल्दी संभव हो परन्तु हर हालत में कार्य ग्रहण की तारीख से एक माह से अधिक नहीं" शब्द जोड़े जायें।

(2) पैरा 6 में "चार माह" के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द कर दिए जायें।

सूरज भान जैन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Public Enterprises)

(Bureau of Public Enterprises)

New Delhi, 3rd October, 1986

RESOLUTION

No. 2(10)|83-BPE(WC).—The Central Government vide its Resolution of even number dated 7-4-1986 had appointed a High Power Committee under the Chairmanship of Mr. Justice P. N. Shinghal to go into various aspects relating to pay scales and other incidental matters such as additional DA, IR and other allowances relating to employees working in public sector undertakings governed by the Central Government pay scales and DA. The terms of reference of the High Power Committee had been spelt out in paragraph 4 of the above noted Resolution.

2. The Supreme Court at their hearing on 5-8-1986 has kindly agreed to extend the tenure of the High Power Committee from four months to one year. The Hon'ble Supreme Court has also indicated a specific time frame within which the Committee is required to grant interim relief to public sector employees. Accordingly, the Government of India have decided that the terms of reference of the High Power Committee will be amended as follows:

(i) In sub-paragraph III of paragraph 4,, after the words 'if called for' the words "as expeditiously as possible; but in any event not later than one month from the date of assumption of the office" may be added.

(ii) In paragraph 6, the words 'Four months' may be substituted by the words 'one year'.

S. B. JAIN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986